न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री शंकरलाल सालवी, आर.ए.एस.

––

प्रकरण संख्या–20/2016 प्रा0प0 दिनांक 04–10–2019

उनवान

1. चतरसिहं पिता वक्तावरसिहं राजपूत निवासी मानजी का गुढा तहसील भदेसर

.....प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1.श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया वकील प्रार्थी

साराशं प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा मानजी का गुढा पटवार हल्का नन्नाणा में प्रार्थी की आराजी स्थित है जिसके नये खाता संख्या 33 आराजी नम्बर 784 , 785, 786, किता 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टैयर है जिसके नये पुराने खाता संख्या 34 की आराजी नम्बर 454/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी नम्बर 469 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा है ताईद में नकल जमाबन्दी पेश की है । प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूलवश राजस्व कर्मचारियों की गलती से नये नवीन जमाबन्दी में प्रार्थी की आराजी का रकबा कम अंकित कर जमाबन्दी रेकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकी पूर्व साबिक आराजी का कुल रकबा 5 बीघा के राजस्व रेकाड अनुसार उक्त नवीन जमाबन्दी में पुराने रेकार्ड अनुसार रकबा दर्ज नहीं कर नवीन जमाबन्दी में गलत रूप से कम रकबा दर्ज रेकार्ड कर दिया है उसे पूर्व साबिक आराजी नम्बर 454/3, 469/6 किता–2 कुल रकबा

Scanned by CamScanner

5 बीघा अनुसार दर्ज कर नवीन जमाबन्दी रेकार्ड के रकबे में कमी पेशी को पूरा करते हुए दुरूस्त किया जाना उचित व न्यायोचित है तथा प्रार्थी मौके पर पूर्व साबिक आराजी नम्बर के रकबे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को प्रार्थी के रकबे को कम करने का कोई विधिक कानूनी अधिकार प्रापत नही है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विपक्षी तहसीलदार भदेसर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर कमीशनरी रिपोर्ट के साथ जवाब तलब किया गया । भू0अ0नि0 खोडिप ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि :–

1. भू-प्रबन्ध से पूर्व प्रार्थी के नाम ग्राम [illegible] का गुढा की जमाबन्दी संवत् 2065–68 में खाता संख्या 34 पर आराजी नम्बर 454 रकबा 1.15 बीघा 469/6 रकबा 3.05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा दर्ज रेकार्ड थी जो भू प्रबन्ध प्रश्चात् 469/6 रकबा 3.05 बीघा के स्थान पर आराजी नम्बर 785 रकबा 0.02 आ0न0 786 रकबा 0.68 अंकित की गई जो सही होकर [illegible] लेकिन 454/3 रकबा 1.15 बीघा के बजाय वर्तमान आराजी नम्बर 784 रकबा [illegible] अंकित की जो 0.10 हैक्टैयर कम कर दी गई ।
2. मौके अनुसार प्रार्थी का वर्तमान आराजी नम्बर 783 रकबा 0.42 में से 0.10 है0 पर कब्जा काश्त है जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 454 मी. का हिस्सा है ।
3. प्रार्थी की आ0न0 784 रकबा 0.28 जो साबिक आ0न0 454 रकबा 1.15 बीघा के बजाय अंकित की गई उसमें की गई 0.10 की कमी पूर्ती आ0न0 783 रकबा 0.42 है0 राजकीय बिलानाम में से किया जा सकता है ।

भू0अ0नि0 खोडिप की जांच पर तहसीलदार भदेसर द्वारा परीक्षण उपरान्त अपनी टिप्पणी अंकित की गई कि वांछित कमी पूर्ती की भूमि मिलान क्षेत्र के अनुसार आंवटित खसरा नम्बर 454/3 की नहीं है तथा साबिक नक्शा ट्रेस भी मिलान हेतु उपलब्ध नही है तदनुसार प्रार्थी को आ0न0 783 रकबा 0.42 हैक्टैयर में से वांछित 0.10

हैक्टैयर भूमि दिया जाना उचित नहीं है मिलान के साक्ष्य के अभाव में दुरूस्ती संभव नहीं है ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मिलान के साक्ष्य के अभाव में दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम खारीज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner